

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.1336 सीसी/स्वा.का.पु./2018/1030

दिनांक : 11/5/18

आदेश

राज्य सरकार के चयनित वेतन श्रृंखला आदेश क्रमांक एफ.20(1)वित्त/ग्रुप-2/92 दिनांक 25.1.92 एवं क्रमांक:एफ.20(1)वित्त/ग्रुप-2/92 पार्ट-1 दिनांक 21.12.93 की पालना में निम्नलिखित स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष (प्रथम नियुक्ति उच्च मैदानी कार्यकर्ता के पद पर) को उनके प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पूर्व में 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतन श्रृंखला उनके पद के पदोन्नति पद के वेतनमान के अनुरूप स्वीकृत की गई थी।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में निम्नलिखित रिट में पारित निर्णय के द्वारा याचिकाकर्ता को 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर 975-1720, 1200-2050 एवं 1640-2900/5500-9000 दिये जाने के निर्देश प्रदान किये हैं :-

क्र. सं.	याचिकाकर्ता	रिट सं.	निर्णय दिनांक	अवमानना सं०
1.	श्रीमति हुकम कंवर पत्नि स्व. श्री गोपाल सिंह शेखावत	19838/17	07.11.17	678/18

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.11.17 के विरुद्ध आगे अपील दायर नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय के द्वारा इन्हे 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित वेतन श्रृंखला 1200-2050 एवं 1640-2900/5500-9000 स्वीकृत करने के निर्देश विभाग को दिये जाने के फलस्वरूप याचिकाकर्ता को विभिन्न आदेशों के द्वारा पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतन श्रृंखलाओं को एतद् द्वारा अतिक्रमित करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना में याचिकाकर्ता को मैदानी कार्यकर्ता/उच्च मैदानी कार्यकर्ता/कौलेरा वर्कर से स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पु.)-साधारण वेतन श्रृंखला पद पर रिडेजिगनेट होने की तिथि से सेवा की गणना करते हुये 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः 975-1720, 1200-2050 एवं 1640-2900 (जिसके लिये वह योग्य है) स्वीकृत की जाती है। इसी अनुरूप एन.पी.एस.-2008 में वेतन श्रृंखलाएं एवं दिनांक 01.01.06 से नियमानुसार ए.सी.पी. देय होगी।

याचिकाकर्ता को चयनित वेतनमान की स्वीकृति में जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित राजस्थान अधिनस्थ लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि याचिकाकर्ता को चयनित वेतनमान स्वीकृति में यदि कार्मिक को उच्च वेतनमान में समायोजित किया गया है तो अवधि की गणना कार्मिक के समायोजित होने की दिनांक से चयनित वेतनमान नियमों/प्रावधानों के अनुसार सही की गई है तथा वेतन स्थिरीकरण तथा राशि की गणना भी सही की गई है तथा संबंधित कार्मिक को चयनित वेतनमान एरियर का पूर्व में भुगतान नहीं किया गया है एवं नियम विरुद्ध अधिक भुगतान के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे, की शर्त पर दी जाती है।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के अध्याधिन होगी ।

( राकेश शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राज. जयपुर

दिनांक : 11/5/18

क्रमांक: एफ.1336 सीसी/स्वा.का.पु./2018/(030

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय को वित्त विभाग के आदेश अनुसार प्रकरण में चयनित वेतनमान स्वीकृति में अवधि, वेतन स्थिरीकरण व राशि की गणना वित्त विभाग के नियमों/प्रावधानों के अनुसार की गई है सुनिश्चित करें।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्ये जोन जयपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी जयपुर-प्रथम/द्वितीय को प्रेषित कर निर्देश है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी के प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय ड्यू-ड्रान एवं संशोधित एलपीसी की प्रति कार्मिक एव अधिकारी केस एवं निदेशालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
8. संबंधित याचिकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर